चतुरंग वाद

-प्रो. वीरसागर जैन

चतुरंग वाद को कथा भी कहते हैं | कथा या चतुरंग वाद न्यायशास्त्र का एक विशेष विषय है | इसकी चर्चा मुख्यरूप से परार्थानुमान के प्रकरण में आती है | साधन से होनेवाले साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं | यह अनुमान दो प्रकार का होता है- स्वार्थानुमान और परार्थानुमान | जब हम स्वयं ही साधन से साध्य का ज्ञान करते हैं तो वह स्वार्थानुमान है और जब किसी अन्य के समझाने से साधन से साध्य का ज्ञान होता है तब वह परार्थानुमान है |

चतुरंग वाद या कथा को ठीक से समझने के लिए अनुमान प्रमाण का स्पष्ट ज्ञान होना अनिवार्य है | अनुमान का प्रकरण न्यायशास्त्र का केन्द्रीय प्रकरण है | जिसने इसे नहीं समझा, उसने समझो न्यायशास्त्र ही नहीं पढ़ा | न्यायशास्त्र के अपर नाम अनुमान शास्त्र, हेतुविद्या आदि भी हैं -इससे सिद्ध होता है कि न्यायशास्त्र में अनुमान का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है |

चतुरंग वाद को कथा इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे को समझाने के लिए कथन का आश्रय लिया जाता है | पक्ष और प्रतिपक्ष को ग्रहण कर वादी और प्रतिवादी में जो वचन-व्यवहार स्वमतस्थापनपर्यन्त चलता है, उसे कथा कहते हैं |

यह कथा दो प्रकार की होती है- वीतराग कथा और विजिगीषु कथा | इनके और भी भेद करें तो कथा के कुल चार अंग हो जाते हैं, अत: कथा को चतुरंग वाद कहते हैं |

जय-पराजय की भावना से रहित मात्र तत्त्वजिज्ञासा की भावनापूर्वक होने वाले गुरु-शिष्यादि के वचन-व्यवहार को वीतराग कथा कहते हैं और जय-पराजय की भावनापूर्वक होनेवाले शास्त्रार्थ को विजिगीषु कथा कहते हैं |

इनमें से वीतराग कथा को वाद के नाम से भी कहा जाता है और विजिगीषु कथा के पुनः दो भेद किये जाते हैं- जल्प और वितंडा, अत: कथा कितने प्रकार की होती है -इस बात को दो तरह से कहा जाता है | ऐसा भी कहा जाता है कि कथा दो प्रकार की होती है- वीतराग कथा और विजिगीषु कथा, और ऐसा भी कहा जाता है कि कथा तीन प्रकार की होती है- वाद, जल्प और वितंडा |

जल्प और वितंडा में अंतर यह है कि जल्प में परमतखंडन के साथ स्वमतमण्डन करना भी अनिवार्य है, किन्तु वितंडा में स्वमतमण्डन की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र परमतखंडन ही करना होता है |

इसके बाद विजिगीषु कथा में एक सभापति या सभ्य का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना अनुशासन बनाने एवं निर्णय देने का कार्य नहीं हो सकता, अत: कथा का एक चौथा अंग सभ्य/सभापति भी हो गया | इस प्रकार पूरा वाद चतुरंग हो गया | चतुरंग वाद अर्थात् वाद, जल्प, वितंडा और सभ्य/सभापति |

इनमें से वाद तो बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि वह वीतराग कथा है; किन्तु जल्प एवं वितंडा के सम्बन्ध में नैयायिकों में बड़ा मतभेद है, क्योंकि यह विजिगीषु कथा है, इसमें जय-पराजय की भावना होती है | इसमें जैन नैयायिकों का वैशिष्ट्य यह है कि अन्य अनेक नैयायिकों का तो मानना है कि इसमें विपक्ष को पराजित करने के लिए छल, जाति, निग्रह आदि असत् उपायों का भी आश्रय लिया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है, फसल की रक्षा करने के लिए काँटों की बाड़ लगानी ही पड़ती है; किन्तु जैन नैयायिकों ने छलादि के प्रयोग को सर्वथा अन्याय्य एवं अनुचित माना है | उनके अनुसार कभी अपवाद रूप में भी छलादि का आश्रय नहीं करना चाहिए |

यद्यपि प्राचीन काल में छलादि का प्रयोग सर्वत्र ही निन्दनीय माना जाता होगा -ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि फिर तो सारा न्याय ही निरर्थक सिद्ध हो जाता है, किन्तु बाद में जब कुछ नये नैयायिकों ने इन्हें येन-केन-प्रकारेण आश्रयणीय सिद्ध कर दिया तो न्याय के क्षेत्र में ये तीव्र गति से स्थापित हो गये, न्याय-वैशेषिक ही नहीं, कतिपय बौद्ध नैयायिकों ने भी इनका समर्थन कर दिया | किन्तु जैन नैयायिकों ने किसी भी कीमत पर छलादि का प्रयोग करना उचित नहीं माना | आचार्य अकलंकदेव ने तो स्पष्ट शब्दों में अनेक बार लिखा कि जो लोग नैयायिक होकर भी छलादि का प्रयोग करते हैं वे समूचे न्यायशास्त्र को मलिन करते हैं, गुणद्वेषी हैं और यह कलियुग की ही महिमा है (-न्यायविनिश्चय 1/2) |

इससे सिद्ध होता है कि जैनदर्शन के न्याय का मुख्य उद्देश्य तत्त्वाधिगम ही था और तत्त्वाधिगम ही है, जय-पराजय नहीं; किन्तु अन्य दर्शनों के न्याय का मुख्य उद्देश्य जय-पराजय ही हो गया और वह भी छलादि के बल पर, तत्त्वाधिगम तो नाममात्र का ही रह गया |

जैन नैयायिकों ने तो जब विजिगीषु कथा में इस प्रकार छलादि द्वारा जय-पराजय की भावना ही प्रधान हो गई तो उस विजिगीषु कथा से ही दूरी बनाना प्रारम्भ कर दिया | यही कारण है कि जैन न्याय के प्रमुख ग्रन्थों में इस चतुरंग वाद विषय का विशेष विवेचन नहीं मिलता |

स्याद्वाद शासन जयवंत रहे !

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या न्यायशास्त्र की इस कथा का साहित्यशास्त्र की कथा-कहानी से कोई सम्बन्ध है ? समाधान- है भी और नहीं भी है | विजिगीषु कथा की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे व्यर्थ एवं विवादवर्धक मानकर उसका निषेध किया जाता है | जैनाचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि विजिगीषु कथा में अनुमान के दो ही अंग होते हैं- प्रतिज्ञा और हेतु, बस, इसके अतिरिक्त दृष्टान्तादि का प्रयोग वर्जित है |

किन्तु देखो आश्चर्य, जिस दृष्टान्त (साहित्यशास्त्र की कथा-कहानी) का उन्होंने विजिगीषु कथा में सख्ती से निषेध किया था, उसी को आगे वीतराग कथा में बाल (अल्पबुद्धि) शिष्यों के लिए उपयोगी भी स्वीकार किया | (देखो- परीक्षामुखसूत्र, 3/33-42) | स्याद्वाद शासन जयवंत रहे !